संख्या- 14(1)/संस्था-समन्वय-I/2004
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञापन

विषय **वर्ष 2003-2004 के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मंजूरी ।**

मुझे, केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" तथा "घ" कर्मचारियों और समूह "ख" के सभी अराजपत्रित अधिकारी, जो उत्पादकता से संबद्ध किसी भी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं, को वर्ष 2003-2004 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) मंजूर किए जाने के बारे में राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराने का निदेश हुआ है । 2500/- रुपए की परिकलन सीमा अपरिवर्तित रहेगी । यह भुगतान केन्द्रीय पुलिस तथा अर्धसैनिक कार्मिकों तथा सशस्त्र बल कर्मियों के लिए भी लागू होगा । यह आदेश संघ शासित क्षेत्र प्रशासकों के उन कर्मचारियों पर भी लागू माने जाएंगे, जिन पर परिलब्धियों के संबंध में केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण किया जाता है तथा जो अन्य किसी बोनस या अनुग्रह अदायगी की स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा:-

(i) केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अंतर्गत अदायगी के पात्र होंगे जो 31.3.2004 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2003-2004 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की हो । वर्ष के दौरान छह महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को अनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी ।

(ii) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की प्रमात्रा औसत परिलब्धियों/परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कमतर हो, पर आधारित होगी । एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से भाग दिया जाएगा । फिर इसे बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा । उदाहरणार्थ परिकलन सीमा 2500/- रुपए मानते हुए (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 2500/- रुपए से ज्यादा है) 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 2500 X 30/30.4 = 2467.10/- रुपए (2467/- रुपए में पूर्णांकित) होगा ।

...2/-

(iii) वे दिहाड़ी मजदूर, जिन्होंने 6 दिवसीय कार्य दिवस वाले कार्यालयों में पिछले तीन साल अथवा इससे अधिक सालों में हर साल कम से कम 240 दिनों तक (पांच दिवसीय कार्य दिवस वाले कार्यालयों के मामले में 3 वर्ष या अधिक वर्षों हेतु हर वर्ष 206 दिन) कार्य किया है, वे इस उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के हकदार होंगे । उन्हें देय उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 1200/- रुपए X 30/30.4 अर्थात 1184.21/- रुपए (1184/- रुपए में पूर्णांकित) होगा । ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200/- रुपए प्रतिमाह से कम हैं, इस राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों पर की जाएगी ।

(iv) इन आदेशों के अंतर्गत सभी अदायगियां निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएंगी ।

(v) ऐसे मामलों में जहां उपर्युक्त उपबंधों में कोई व्यवस्था नहीं है, समय-समय पर संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 4.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14(10)-संस्था-समन्वय/88 के द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण आदेश से लागू होंगे ।

3. इन आदेशों के अंतर्गत अदायगियां संबधित संगठनों की संगत अनुदानों की मांगों में उप-शीर्ष "वेतन" में प्रभार्य होगी ।

4. उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाना है ।

5. जहां तक, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

ह0/-
(एन.के. चड्डा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 2309 3686

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची आदि के अनुसार ।

प्रतिलिपि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार प्रेषित ।

(चन्दन)